न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

225RTA2021-378Ju2021-186 Budharam ors Vs Banshilal etc

---

01. बुधाराम पुत्र गोरखाराम
02. मनोहरलाल पुत्र गोरखाराम
03. हनुमानराम पुत्र गोरखाराम
04. भंवरलाल पुत्र गोरखाराम
05. रामंप्यारी पुत्री गोरखाराम
06. बरजु देवी पत्नी गोरखाराम
07. मंगलीदेवी पत्नी रूगनाथराम
08. सुखराम पुत्र रूगनाथराम
सभी जातियान् विश्नोई निवासी- ग्राम लाखेटा, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. बंशीलाल पुत्र गोरखाराम
02. जगदीश पुत्र गोरखाराम
03. रामकिशन पुत्र गोरखाराम
04. शैतानराम पुत्र गोरखाराम
05. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बापिणी।

प्रर्फोमा पक्षकार

06. जीवणराम पुत्र हरदासराम जाति विश्नोई, निवासी- ग्राम लाखेटा, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।
07. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा औसियां।
08. शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक नौसर।
09. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक औसियां।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट दिनांक 03 सितंबर 2021 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 90/2021 बंशीलाल बनाम हनुमानराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री बुधाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री बुधाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01, 03 व 04

राजस्व अपील प्राधिकारी

श्री कमलेश जोशी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 07
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 05

नि र्ण य

दिनांक : 14 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 90/2021 बंशीलाल बनाम हनुमानराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 सितंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 01 नवंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद विभाजन बाबत वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 970 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा नं. 971 रकबा 4.2168 हैक्टेयर, खसरा नं. 840 रकबा 1.7401 हैक्टेयर, खसरा नं. 867 रकबा 2. 1691 हैक्टेयर, खसरा नं. 897 रकबा 16.3493 हैक्टेयर, खसरा नं. 907 रकबा 2.4605 हैक्टेयर, खसरा नं. 916 रकबा 1.1979 हैक्टेयर, खसरा नं. 919 रकबा 1.312 हैक्टेयर, खसरा नं. 921 रकबा 0.5180 हैक्टेयर, खसरा नं. 976 रकबा 3.3103 हैक्टेयर, खसरा नं. 992 रकबा 4.6943 हैक्टेयर ग्राम लाखेटा एवं खसरा नं. 05 रकबा 15.6532 हैक्टेयर ग्राम मतोड़ा तहसील लोहावट के संबंध में अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध पेश किया, जिस वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक को सुनकर दिनांक 03 सितंबर 2021 को रेस्पो./प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य मौखिक रूप से पूर्व में बंटवाड़ा

राजस्व अपील प्राधिकारी

किया जा चुका है तथा उसी बंटवाड़ा अनुसार सभी अपने अपने हिस्से में मौके पर काबिज काश्त है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि के चारों ओर जाली तारबंदी करवाकर काश्त की जा रही है तथा सभी अपने अपने हिस्से में मौखिक बंटवाड़ा अनुसार ही मकान बनाकर निवास करते आ रहे है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज है। प्रत्यर्थी संख्या एक ने संपूर्ण भूमि में अपना हिस्सा 31.13 बीघा बताया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण भूमि पर स्थगन आदेश जारी करते हुए आलौच्य आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण सभी मौखिक बंटवाड़ा अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज काश्त है तथा अपने अपने घर बनाकर निवास कर रहे है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर एकपक्षीय आलौच्य आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया है। अपीलार्थीगण विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का प्रत्यर्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 सितंबर 2021 को अपास्त फरमावें। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी.-14.11.2008 पेज 762, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 113 एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रार्थना पत्र टी.ए. संख्या 4426/2015/जोधपुर में पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड सहखातेदार है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में बंटवाड़े का दावे के विचाराधीन रहते अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट

अपील प्राधिकारी

द्वारा अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। अपीलांट कोई अनुतोष चाहता है तो वह विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता रेस्पो संख्या सात ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त भूमिखसरा नं. 970 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा नं. 971 रकबा 4.2168 हैक्टेयर, खसरा नं. 840 रकबा 1.7401 हैक्टेयर, खसरा नं. 867 रकबा 2.1691 हैक्टेयर, खसरा नं. 897 रकबा 16.3493 हैक्टेयर, खसरा नं. 907 रकबा 2.4605 हैक्टेयर, खसरा नं. 916 रकबा 1.1979 हैक्टेयर, खसरा नं. 919 रकबा 1.312 हैक्टेयर, खसरा नं. 921 रकबा 0.5180 हैक्टेयर, खसरा नं. 976 रकबा 3.3103 हैक्टेयर, खसरा नं. 992 रकबा 4.6943 हैक्टेयर ग्राम लाखेटा एवं खसरा नं. 05 रकबा 15.6532 हैक्टेयर ग्राम मतोड़ा के रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। अपीलांट्स का कथन है कि वादग्रस्त भूमि का उभय पक्ष में मौखिक बंटवाड़ा किया हुआ है तथा उसी अनुसार काबिज है, जिसकी पुष्टि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पद संख्या 04 से होती है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा उक्त पद में कथन किया गया है कि पक्षकारान् के मध्य वर्षो पहले कणा-माठ से मौके पर मौखिक बंटवाड़ा किया हुआ है तथा मौखिक बंटवाड़े अनुसार काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो पर विचार किये बिना रेकर्डेड सह खातेदारान् के विरूद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध पारित की जानी पायी जाती है। वकील अपीलांट

अपील प्राधिकारी

द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में भी माननीय राजस्व मण्डल ने उद्धरित किया है कि सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जात है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध है तथा विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट का अंतिम निस्तारण होना शेष है। अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का जवाब अदालत में भी प्रस्तुत किया जा चुका है जो विचारण न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न किया गया। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 सितंबर 2021 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की समुचित सुनवाई का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दो माह की अवधि में निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष परस्पर एक दुसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर